फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

राम सहाय बनाम रामनिवास

केस संख्या 85/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/2/24 को पेश हो।
	19/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०[illegible] साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त [illegible] अतः प[illegible]नुसार दिनांक 19/3/24 को पेश हों।
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अ[illegible] कार्य में व्यस्त [illegible] अतः प[illegible]सार दिनां. 30/4/24 को पेश हों।
	30/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः [illegible] दिनांक 13/5/24 को पेश हों।
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मिसल मुताबिक [illegible] से [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र :84 / 2016
निर्णय दिनांक : 13.05.2024

रामसहाय पुत्र जगन्नाथ, उम्र 58 वर्ष, जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी–ग्राम खेतापुरा, गिरदावर हल्का वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

वादी

बनाम

रामनिवास पुत्र स्व. भैरूराम
बाबूलाल पुत्र स्व. भैरूराम
प्रभुनारायण पुत्र स्व. भैरूराम
सीताराम पुत्र स्व. भैरूराम
समस्त जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खेतापुरा, गिरदावर हल्का वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92 क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वाद–पत्र निम्न प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ग्राम खेतापुरा, गिरदावर हल्का वाटिका, तहसील सागानेर, जिला–जयपुर के रहने वाले काश्तकार व्यक्ति है तथा पडौसी काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि कदीम से अलग खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में चली आ रही है। वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 76 खसरा नंबर 144 रकबा 0.44 हैक्टीयर, 261 रकबा 0.35 हैक्टीयर एवं 278 रकबा 0.23 हैक्टीयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 हैक्टीयर वाके ग्राम खेतापुरा, गिरदावर हल्का वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित है जिस पर वादी खाम डौल लगाकर कदीम से काबिजकाश्त है। वादी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 261 रकबा 0. 35 हैक्टीयर भूमि जिसे वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है के लगवा प्रति[illegible] की भूमि खसरा नंबर 271 रकबा 0.32 हैक्टीयर है जो सींवजोड है जिस पर प्रतिवादीगण आ[illegible]न वादी को उक्त खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नंबरान् 261 एवं 271 की सीमा से संबंधित विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा मिन वादी को हैरान–परेशान करते है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है किः–

क– वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 डिकी स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमाई जावे कि वो वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 261 रकबा 0.35 हैक्टीयर वाके ग्राम खेतापुरा, तहसील–सांगानेर जिला जयपुर जिसका वादी कदीम से स्वामी एवं काबिजकाश्त है में के उपयोग–उपभोग, काश्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बेजामजाहमत न करे ना करावे जबरन अतिकमण न करे ना मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन, खुर्द–बुर्द न करे ना करावे एवं किसी प्रकार का खाम एवं पुख्ता निर्माण कार्य न करे न करावें सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

ख– वाद का समस्त हर्जा–खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

ग– अन्य दादरसी जो वादी के पक्ष में उचित समझे अता फरमावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर दिये जाने के बाद भी वाद में जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर दिनांक 07.08.2018 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बन्द किया गया। पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 261 रकबा 0. 35 हैक्टीयर भूमि जिसे वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है के लगवा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 271 रकबा 0.32 हैक्टीयर है जो सींवजोड है जिस पर प्रतिवादीगण आये दिन मिन वादी को उक्त खसरा नंबरान् 261 एवं 271 की सीमा से संबंधित विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा मिन वादी को हैरान–परेशान करते है। अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 डिकी स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमाई जावे कि वो वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 261 रकबा 0.35 हैक्टीयर वाके ग्राम खेतापुरा, तहसील–सांगानेर जिला जयपुर जिसका वादी कदीम से स्वामी एवं काबिजकाश्त है में के उपयोग–उपभोग, काश्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बेजामजाहमत न करे ना करावे जबरन अतिकमण न करे ना मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन, खुर्द–बुर्द न करे ना करावे एवं किसी प्रकार का खाम एवं पुख्ता निर्माण कार्य न करे न करावें सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम खेतापुरा, गिरदावर हल्का वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित वादी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 261 रकबा 0. 35 हैक्टैयर का सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादी कोई हस्तक्षेप कर रहे हे तो उनको वादी की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested